HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK 5, 1927 SAKA 4114

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT **Notification**

The 27th October, 2005

No. CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1675.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres around Government Primary School, village Iqbalpur, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at village Iqbalpur (Hadbast No. 40), District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1393/2005, dated the 16th June, 2005.

North: Starting from point 'A' i.e. North-East corner of rectangle No. 1 of village Iqbalpur (Hadbast No. 40), towards East along the Northern boundary of rectangle Nos. 2 and 13 of Village Iqbalpur, (Hadbast No. 40) upto point 'B' i.e. the North-East corner of rectangle No. 13 of village Iqbalpur, (Hadbast No. 40).

East: Thence from point 'B' towards South-West along the Eastern boundary of Village Iqbalpur (Hadbast No. 40) upto point 'C' i.e. the tri-junction of the boundaries of village Iqbalpur (Hadbast No. 40), village Kalyawas (Hadbast No. 41) and village Sultanpur (Hadbast No. 39).

South: Thence from point 'C' towards West along the Southern revenue boundary of village Iqbalpur (Hadbast No. 40) upto the point 'D' i.e. the tri-junction of boundaries of village Iqbalpur (Hadbast No. 40), Village Sultanpur (Hadbast No. 39) and village Jhanjrola (Hadbast No. 38).

West: Thence from point 'D' towards North-East along Western revenue boundary of village Iqbalpur (Hadbast No. 40) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK 5, 1927 SAKA 4113

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2005

संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0) इ0 डब्लयू०/जी० जी० एन0/23/सी0ए0/बी0/2005/1675.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41),की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गावं ईकबालपुर, जिला गुड़गावं के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्दिगिर्द दो किलो मीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियंत्रित खेल घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40), जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्दगिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 1393/2005, दिनांक 16 जून, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

- उत्तरः बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) की आयत संख्या 1 के उत्तर—पूर्व कोने से प्रारम्भ करते हुये, पूर्व की ओर गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) की आयत संख्या 2 तथा 13 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जोकि गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) की आयत संख्या 13 का उत्तर—पूर्व कोना है।
- पूर्वः तत्पश्चात् दक्षिण—पश्चिम की ओर बिन्दु 'बी' से गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक, जोकि गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) गांव कालियावास (हदबस्त संख्या 41) तथा गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की सीमाओं का मिलन बिन्दु है।
- दक्षिणः तत्पश्चात् पश्चिम की तरफ बिन्दु 'सी' से गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) की दिक्षणी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जोकि गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40), गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) तथा गांव झांझरोला, (हदबस्त संख्या 38) की सीमाओं का मिलन बिन्दु है।
- पश्चिमः तत्पश्चात् उत्तर—पूर्व की तरफ बिन्दु 'डी' से गांव ईकबालपुर (हदबस्त संख्या 40) की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक, जोकि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।